

निर्णय बर्डजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई०ए०एस० जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़(राजस्थान)

मिसल न० ३४ / प्रा०पत्र / 19

"एयू स्मॉल फाईनेन्स लिमिटेड" (जो पूर्व में "एयू फाईनेन्सर्स (इण्डिया) लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय 19-ए.धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड जयपुर -302001 है। प्राथी

बनाम

01. गोविन्द सिंह तंवर पुत्र सुल्तान सिंह (ऋणी / बंधककर्ता)
पता:- मकान न० 20, मुख्य गली, ग्राम खोलखेड़ी तहसील पचपहाड़, झालावाड़ 326512
दूसरा पता:- ग्राम खोलखेड़ी, ग्राम पंचायत खोखरिया खुर्द पंचायत समिति भवानीमण्डी
02. श्रीमति संतोषबाई तंवर पत्नी गोविन्द सिंह तंवर (सह ऋणी)
पता:- मकान न० 20, मुख्य गली, ग्राम खोलखेड़ी तहसील पचपहाड़, झालावाड़ 326512
03. पप्पू जैन (सह-ऋणी)
पता:- मकान न० 72, भाटरावाड़, ग्राम पगारिया, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002

:- निर्णय :-

दिनांक: 04.12.2019.

यह प्रार्थना पत्र प्राथी द्वारा जयें अधिकृत प्रतिनिधि सिक्यूरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी 1 द्वारा वित्तीय संस्था से दिनांक 09.08.2016 को रूपये 3,00,000/- का ऋण लिया था व उक्त ऋण व उसके ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति ग्राम खोलखेड़ी ग्राम पंचायत खोखरिया खुर्द पंचायत समिति भवानीमण्डी जिसका कुल क्षेत्रफल 1640 स्क्वायर फीट व उस पर निर्मात कवन एवं ढांचा आदि को प्राथी के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को नियमानुसार ऋण नहीं चुकाने पर दिनांक 30.04.2018 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया गया। प्राथी बैंक ने एन.पी.ए. घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 04.12.2018 को नोटिस दिने गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। अप्रार्थीगण के साथ में बकाया राशि 3,28,112/- दिनांक 03.12.2018 तक शेष है व आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्राथी सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। उपरोक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाया प्राथी बैंक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को दिलाने का अनुरोध किया गया है।

सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः सरफैसी द्वारा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। बैंक को ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 30.04.2018 को व्यक्तिगत डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है। ऋणी के विरुद्ध रूपये 3,28,112/- दिनांक 03.12.2018 तक शेष है तथा इसके बाद की ब्याज व अन्य खर्चे हेतु उपरान्तानुसार मांग की गई। उक्त राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी जिम्मेदार है। ऋणी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की राशि का नियमानुसार भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु निर्माण के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने तत्पश्चात भी मांग राशि का भुगतान ऋणी द्वारा नहीं किया जाना पर बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की धारा 14 के तहत बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफैसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टी पश्चात जमानत स्वरूप बन्धक रखी गई सम्पत्ति को बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है व इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्तानुसार प्रा०पत्र के सलंगन शपथ को दृष्टिगत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रा०पत्र प्राथी स्वीकार किया जाता है। ऋण व बकाया रकम की अदायगी हेतु अप्रार्थी द्वारा बैंक में गिरवीकृत अचल सम्पत्ति ग्राम खोलखेड़ी, ग्राम पंचायत खोखरिया खुर्द पंचायत समिति भवानीमण्डी जिसका कुल क्षेत्रफल 1640 स्क्वायर फीट, जिसकी चतुर्थ सीमा इस प्रकार है पूर्व में नरवरसिंह का मकान, पश्चिम में रोड, उत्तर में मदनसिंह की सम्पत्ति व दक्षिण में रोड उक्त सम्पत्ति पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्राथी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का दिलवाया जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ को आदेशित किया जाता है। प्राथी इस बाबत पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ से सम्पर्क कर ऋणी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करे। निर्णय को प्रति प्राथी बैंक व पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। सरफैसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय को प्राथी अप्रार्थी को भी भिजवाया जाना उचित होगा जिससे वह ऋण दाता से सम्पर्क स्थापित कर ऋण चुकाने पर प्रकरण का निस्तारण करा सके, इसी क्रम में अप्रार्थी को इस आदेश से असन्तुष्ट होने की दशा में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की जाती है जिसके पश्चात यह निर्णय प्रभावी हो जावेगा व प्राथी बैंक/कम्पनी द्वारा अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। पत्रावली फसल नुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्दा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक: 04.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

झालावाड़